भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2960
दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

गोवा में खनन विनियमों का उल्लंघन

†2960. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या गोवा में खनन गतिविधियों की शुरुआत से ही प्रथम पट्टाधारक द्वारा सतत् खनन को नियंत्रित करने संबंधी अधिकांश वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राज्य सरकार कम/अपर्याप्त कर्मचारियों के साथ खनन विनियमन शुरू कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि खनन स्थलों पर आईबीएम के किसी भी अधिकारी या खान एवं भूविज्ञान निदेशक की उपस्थिति के बिना खनन कार्य शुरू किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अधिकांश नए खनन ब्लॉक में गोवा के ग्रामीणों से सतही अधिकार प्राप्त किए बिना खनन कार्य शुरू किया जा रहा हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और
(ङ) क्या यह सच है कि नए खनन ब्लॉकों से निकाले गए सभी अयस्क को प्राधिकारियों द्वारा ग्रेडिंग किए बिना बेचा जा रहा है और रॉयल्टी एवं अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए स्व-घोषणा स्वीकार की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): मौजूदा कानून के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के निष्पादन से पूर्व, संभावित पट्टेदारों के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी सहित अपेक्षित वैधानिक मंज़ूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। पट्टाधारकों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त मंज़ूरियों और अनुमोदनों की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, अन्यथा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संबंधित अधिनियमों और लागू नियमों/दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ख): गोवा सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2024 और 2025 के लिए कार्मिकों का आकलन खान एवं भूविज्ञान निदेशालय द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार कर्मचारियों की अंतिम स्वीकृत संख्या 125 है। इस कमी को पूरा करने के लिए निदेशालय द्वारा संविदा आधार पर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की गई है।

(ग): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार, खनन केवल वैध खनन पट्टे के अंतर्गत ही किया जा सकता है। खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 (एमसीडीआर 2017) के नियम 20 के अनुसार, पट्टाधारक को खान खुलने के पंद्रह दिनों के भीतर भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) को ऐसी खान खुलने की सूचना भेजनी आवश्यक है। एमसीडीआर 2017 के प्रावधानों के अनुसार, पट्टाधारकों द्वारा आईबीएम को मासिक विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं।

गोवा सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय ने भूमिजा नामक अयस्क निगरानी प्रणाली सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया है, जिसमें अयस्क के उत्पादन और प्रेषण की निगरानी की जाती है। प्रत्येक ट्रक में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा होता है और उससे अयस्क की आवाजाही पर ऑनलाइन नज़र रखी जाती है। पट्टों पर वेब्रिज स्थापित किए गए हैं जहां प्रत्येक प्रेषण का वजन तोला जाता है और ऑनलाइन पारगमन परमिट जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, वैधानिक भुगतान जैसे कि रॉयल्टी, जिला खनिज निधि, गोवा लौह अयस्क स्थायी निधि, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास और अन्य भुगतान इस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं।

(घ): गोवा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 03/27/2024/प्रमुख/खान/3092 दिनांक 23.01.2025 के अनुसार, मुआवज़े से संबंधित सभी मामले अपर कलेक्टर के निर्णय के अध्यधीन हैं।

(ङ): गोवा सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय अयस्क के ढेरों से नमूने लेता है, जिनका राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में ग्रेड के लिए विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर पट्टेदारों से रॉयल्टी ली जाती है।

इसके अलावा, खान मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लौह अयस्क और अन्य खनिजों के ग्रेड के गलत वर्गीकरण को रोकने के लिए प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों को दिनांक 03.10.2023 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों में इन दिशा-निर्देशों को समुचित रूप से शामिल करके इन्हें क्रियान्वित करें।

*****